International Journal of Enhanced Research in Educational Development, ISSN: 2320-8708
Vol. 1 Issue 4, May-June, 2013, pp: (38-44), Available online at: **www.erpublications.com**

शेरशाह की राजस्व व्यवस्था

डॉ० अवनीत रंजन

(इतिहास)

सारांश

भूमि सुधार या राजस्व की जिस व्यवस्था के कारण शेरशाह को याद किया जाता है वह हैं कृषि योग्य भूमि का नपवाना, किसानों के बीच जमीन का वितरण करवाना व उचित कर व्यवस्था को लागू करवाना। उत्पादन और उर्वरा शक्ति के आधर पर भूमि को तीन भागों में विभाजित किया गया उत्तम, मध्यम और निकृष्ट। इस आधर पर ही कर की व्यवस्था की गई। इन सभी सुधारों के सलाहकार टोडरमल भी शेरशाह की ही खोज है जिसे शेरशाह से अकबर तक के सभी शासकों ने अपना वित्त सलाहकार बनाया।

किसान वह है जो स्वयं एवं मजदूरों की सहायता से खेती करता है और उसका लगान सीधे राज्य या सरकार को न देकर जमींदार या जागीरदार को देता है। किसान की परिभाषा में यह भी आता है कि वह कृषि कार्य जातीय व्यवस्था के अनुरूप स्वयं न कर मजदूरों से कराता था। यह वर्ग भी भूमि लगान अपने जागीरदार या जमींदार को प्रदान करता था। संभवतः इतिहासकारों ने किसान की वही परिभाषा दी जो लोगों के बीच पफैली हुयी थी।

शेरशाह की व्यवस्था में एक ऐसा वर्ग भी था जो भूमि लगान सरकार द्वारा नियुक्त समाहर्त्ता (लगान लेनेवाला कर्मचारी) को देता था। किन्तु स्वयं खेती नहीं करता था। वह विशाल भूखंड का स्वामी होता था, भूखंड उसके पास नहीं होता था यह व्यवस्था सदियों से आ रही थी। उक्त स्थिति शेरशाह के काल में भी विद्यमान थी। जिसका कारण ढूढ़ना ही होगा कि कतिपय लोगों के पास हजारों एकड़ जमीन हो गयी, तो ऐसे लोगों की भी विपुल संख्या थी जिनके पास खेती तो दूर की बात रही, रहने योग्य जमीन नहीं थी।

आज आजादी के बाद भी व्यक्ति के (इकाई) पास अट्टालिका या घरो का समूह है किन्तु आधे से अध्कि लोगों के जिम्मा रहने योग्य मकान नहीं है। इसमें प्रमाण देने की आवश्यकता नहीं है। महानगरों की कौन कहे, नगर या गाँव में भी देखा जा सकता है। यह भी नहीं कहा जा सकता है कि किसान का तात्पर्य अमीर या गरीब से है।

यहाँ पर यह कहना अप्रासंगिक नहीं है कि बिहार राज्य के कई जमींदार किसानों या बटाइदारों से अध्कि गरीब थे। मात्रा समस्तीपुर जिले के कई काश्तकार जमींदारों से सौ गुणा अध्कि ध्नी व सम्पन्न थे। पिफर भी जमींदार की एक हैसियत थी – काश्तकार व किसानों से उसकी तुलना नहीं हो सकती थी।

इस तथ्य को ध्यान में रखकर ही किसानों के बारे में सोचना अध्कि समीचीन होगा। अतः सार रूप में कहा जा सकता है कि किसान वे हुए जो स्वयं अथवा मजदूरों के माध्यम से खेती करते और करवाते थे। इसके अतिरिक्त ऐसा भी वर्ग किसान के अन्तर्गत आता है जो अपनी बटाई भूमि के भूमिहीन कृषकों को उप बटाई पर देते थे किन्तु भूमि लगान नहीं देते थे। ऐसे किसान आज भी हैं। शेरशाह से आज तक इसमें कोई बदलाव नहीं हुआ है। इसे सर्वदा ध्यान में रखना होगा। यही कारण है कि किसान आन्दोलन को लोग नहीं समझ पा रहे हैं और यही आन्दोलन आगे चलकर उग्रवाद का कारण बनता है।

सम्प्रति शेरशाह काल में भूमि की नपाई किसानों के बीच जमीन का वितरण किस प्रकार किया गया, इसकी समीक्षा की जा रही है।

विन्ध्याचल से उत्तर और हिमालय से दक्षिण का लगभग पूरा भाग शेरशाह के अधीन हो गया था। राजपुताना के कतिपय क्षेत्रा व बुन्देलखण्ड उसके प्रत्यक्ष शासन में नहीं थे। तत्काल में संभवतः इन क्षेत्रों में उसके नियम चालू नहीं हो सके होंगे।

शेष बंगाल से लेकर पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत तक की भूमि को उसने माप लिया। नपाई रस्सी के द्वारा की गई। भूमिखण्ड की उच्चतम इकाई संभवतः विघा या जरीव था। एक विघा अथवा एक जरीव में 3600 वर्ग तक होते थे। किन्तु यह देश और परिस्थिति पर अवलम्बित था। उत्पादन और उर्वरा शक्ति के आधार पर भूमि

को तीन भागों में विभाजित किया गया था। उत्तम, मध्यम और निकृष्ट। उत्तम तथा मध्यम भूमि के नापने के पश्चात् यह पता लगाया जाता था कि किस किसान के पास किस श्रेणी की कितनी भूमि हैं। निकृष्ट भूमि की नाप की गई या नहीं इसकी सूचना नहीं मिलती है। इसके अन्तर्गत सम्भवतः झाड़ जंगल, नदी, सड़क, रेगिस्तान जलाशय इत्यादि ऐसी भूमि थी जिसपर पफसल नहीं उगायी जा सकती थी। इसका उपयोग अपनी आवश्यकता की पूर्त्ति के लिए सम्भवतः किसानों के द्वारा बिना लगान दिये हुए किया जा सकता था।

मापी गई भूमि का अभिलेख एक पंजी में निर्दिष्ट किया गया है जिसे एक पंजी या पुस्तिका में दर्ज किया गया है। वर्त्तमान कालिक कैडेस्ट्रल सर्वे के समान मापी नहीं की गई थी बल्कि जागीरदार या किसान के स्वामित्व में भूमि मापी गई थी। यानि अमुक किसान के पास कितना बिघा जमीन है। अथवा अमुक जागीरदार के पास कितनी बिघा जमीन है। यानि किसान के अनुसार माप। वर्त्तमान कैडेस्ट्रल सर्वे में जमीन के अनुसार भू–स्वामी का नाम दर्ज है।

किसानों को एक पट्टा के माध्यम से भूमि दी जाती थी जिसमें किस्म पफसल (भूमि की श्रेणियों) व लगान का उल्लेख रहता था। किसान से ''कबूलियत'' ले ली जाती थी कि उसने ''देय'' जमीन को प्राप्त किया है।

प्रायः सभी इतिहासकार पट्टा एवं कबूलियत को स्वीकार करते हैं किन्तु इसके साक्ष्य में किसी कबूलियत या पट्टा का जिक्र नहीं किया गया है। (शोध के दौरान मुझे इसकी सूचना मिली है कि शेरशाह की पट्टे और कबूलियत राज दरभंगा के अभिलेखागार में है किन्तु प्रयास करने के बावजूद मुझे प्राप्त नहीं हुआ। डा० उदयकान्त मिश्र जी से मेरी बातचीत हुई। तद्नुसार पट्टा एवं कबूलियत को किसानों के बीच से खोजा जा सकता है जो राजबनैली जिला पूर्णिया से प्राप्त किया जा सकता है। पट्टा एवं कबूलियत की प्रथा यत्रा–तत्रा अभी भी मिलती है। उक्त दोनों प्रथाएँ किसानों के बीच आज भी चल रही है – इस प्रकार शेरशाह आज भी जीवित हैं।

डा० विद्याधर महाजन ने यह कहा है कि शेरशाह से पहले भूमि मापी नहीं की गई थी। परन्तु यह एक अपूर्ण अनुमान पर ही आधारित है। यह शेरशाह का ही श्रेय है कि उसने अपने साम्राज्य की समस्त भूमि का सही निरीक्षण करने की आज्ञा दी किन्तु कौटिल्य के अर्थशास्त्रा से स्पष्ट पता चलता है कि मौर्यकाल में भूमि की माप कराई गई थी और उसके अभिलेख अभिलेखागार में रखे जाते थे।

डा० हरिशचन्द्र वर्मा ने अनेक साक्ष्यों का उल्लेख करते हुए कहा है कि शेरशाह ने जमीन मापने की प्रथा अलाउद्दीन खिलजी से प्राप्त की। शेरशाह का रूझान मापन की प्रथा की तरपफ था। अलाउद्दीन खिलजी की तरह वह भी इसका जितना हो सके उतना विस्तार करना चाहता था। जमीनों का आम सर्वेक्षण करवाया जाना नई जमा (टैक्स) को तय करने के लिये लाभकारी हो सकता था किन्तु उसका शासनकाल इतना छोटा रहा कि उसका सर्वेक्षण संतोषप्रद साबित नहीं हो सका।

डा० वर्मा ने ही दौलत–ए–शेरशाही के पफरमान संख्या दस का उल्लेख किया है। तदनुसार खेती योग्य भूमि एवं खेती के लिये अयोग्य भूमि या परती भूमि के मापन का कार्य अहमद खाँ को सौंपा गया। अहमद खाँ ने यह काम हिन्दू ब्राह्मणों की मदद से पूरा किया। वर्मा ने ही मापने की क्रिया के लिये रस्सी के जगह 32 अंक वाला सिकंदरी गज और सन की डंडी का उल्लेख किया है। इस प्रकार इतिहासकारों के बीच मतभेद रह जाता है कि मापने का कार्य रस्सी से किया गया था या सन की डंडी से।

शेरशाह का काल मात्रा 5 वर्षों का रहा एवं उसके उत्तराध्किारियों का शेष दस वर्ष। इन पन्द्रह वर्षों में सम्पूर्ण उत्तरी भाग का सीमांकन करना चमत्कारी बाते हैं। इसका उत्तर भी डा० हरिशचन्द्र वर्मा ने डा० एस०सी० मिश्रा के एक शोध परक निबन्ध के आधर पर दिया है।

तद्नुसार शेरशाह ने प्रचलित व्यवस्था में सुधर किया आमूल परिवर्त्तन नहीं। शेरशाह ने ऐसी व्यवस्था की जिसके अनुसार किसी व्यक्ति विशेष को इसकी जिम्मेवारी सौंपी जाय कि वह अपने आवंटित क्षेत्रा में से राजस्व इकट्ठा करें और नियतांश राज्य में जमा कर। अन्य दो प्रथाओं गल्ला–बख्शी (साझेदारी) और मापन (जरीब) की प्रथा में हस्तक्षेप नहीं किया। मात्रा उनकी क्रिया विधि को व्यवस्थित किया।

इस बिन्दु में आये हुए मतभेद का समाधन शोध प्रबन्ध में इस प्रकार किया जायेगा कि मापने की विधि चाहे जो भी हो किन्तु मापने की उच्चतम इकाई विघा थी। इसे मापने में रस्सी और सन की डंडी दोनों का प्रयोग किया जाता होगा जिस क्षेत्रा में जिस प्रकार की सुविध रहती होगी। निश्चित साक्ष्य के अभाव में अनुमान से काम लिया जा सकता है। (यदि अनुमान के लिये प्रत्यक्ष तथ्य परक हो)

भुगतान की विधि :–

डा० कानूनगों ने मखजान–ए–अपफगानी के अनुसार कहा है कि शेरशाह ने मुल्तान के सूबेदार हैवत खाँ को लिखा था कि पैदावार का (भाग लिया जाय। डा० कानूनगों ने अबुल पफजल के कथ्य पर भी विश्वास किया है कि शेरशाह की दरे कम थी जिसे अकबर ने बढ़ाकर $\frac{1}{3}$ किया।

मोरलैण्ड एवं परमात्माशरण ''मखनाल–ए–अपफगानी'' का हवाला देते हुए कहा है कि (केवल मुल्तान के लिये था जिसके प्रति शेरशाह को सदा से स्नेह रहा या पक्षपात रहा। अन्य क्षेत्राों में $\frac{1}{3}$ ही मान्य था। मोरलैण्ड एवं परमात्मा शरण की व्याख्या राई शब्द से है। राई का अर्थ उन्होंने पफसल का $\frac{1}{3}$ भाग माना है।

पफसल की कटाई के बाद भूमिकार लिया जाता था जो वर्ष में दो बार होता था। भू–राजस्व अनाज के रूप में अथवा उसके बदले में नकदी राशि के रूप में लिया जाता था। कृषकों को भू–राजस्व के अतिरिक्त ''जरीबाना तथा मुहासिलाना'' नाम के दो टैक्स और देने पड़ते थे जिनकी दरें भू–राजस्व की 2) से 5: थी। जरीबाना की राशि भूमि पैमाईश करनेवाले अध्किारियों को दी जाती थी तथा मुहासिलाना भूमिकार की उगाही करने वाले को दिया जाता था।

डा. भार्गव के अनुसार शेरशाह ने भूमि कर निर्धरण की कुछ और भी प(तियाँ अपनाई जिनमें बटाई या गल्ला, बख्सी, कनकुत, जब्ती प्रणाली उल्लेखनीय है। बटाई प्रणाली के अनुसार पफसल को किसान गाँव के नम्बरदार मुकदम तथा अन्य सरकारी कर्मचारियों के सामने तीन बराबर ढ़ेरों में बाँट देता थज्ञ। एक ढेर सरकार के पास जमा हो जाता था और दो ढ़ेर किसान के पास रह जाते थे। कनकुत प्रणाली के अन्तर्गत किसान और सरकारी कर्मचारी पफसल कटने से पहले उपज का अनुमान लगा लेते थे तथा इस अनुमान के आधर पर भूमि कर वसूला जाता था।

जब्ती प्रणाली के अनुसार किसान और सरकार के बीच ठेका हो जाता था। किसान यह मंजूर करता था कि वह प्रति विघा की दर से कुछ निश्चित वर्षों तक नियत रकम देता रहेगा। इस ठेके के बाद किसान को वह नियत रकम उतने वर्षों तक देनी पड़ती थी। चाहे उसकी उपज कम हो या अधिक।

बिहार एवं कई प्रदेशों में भूमि के स्वामी अपनी भूमि को आज भी इसी आधर पर तीन या पाँच वर्षों के लिए एक निश्चित रकम लेकर ठेका पर देते हैं और ठेके लेने वाला किसान या मजदूर कबूलियत लिखकर या मौखिक रूप से ग्रहण करता है ;उपज हो या न हो रकम दे दी जाती है।

उक्त जब्ती के अनुसार यदि किसान ज्यादा से ज्यादा 15 वर्षों से अध्कि का ठेका लिया होगा अथवा 1555 ई में 5 वर्षों का ठेका लिया होगा उसकी नियति अकबर के शासन काल में क्या रही होगी यह प्रस्तुत शोध् का विषय नहीं है। यह तो पूर्व में कहा जा चुका है कि शेरशाह के समय में कर की वसुली नकदी या पफसल के रूप में की जाती थी किन्तु वसूलने वाले किस प्रकार वसूली किया करते थे इसकी समीक्षा द्वितीय अध्याय में की गई है।

किसानों के हित के लिये उपज बढ़ाये जाने वाले शेरशाह के किसी भी प्रयास का उल्लेख अधिकांश इतिहासकारों ने नहीं किया है। भूमि एवं भूमि कर को तर्क संगत बनाने के अलावे सिंचाई का प्रबन्ध् अथवा ततसदृश अन्य किसी कार्य का उल्लेख नहीं है। तत्काल में अच्छी बारिश हाने के कारण सिंचाई की व्यवस्था की जरूरत नहीं पड़ती थी और मौसम के अनुसार ही पफसल उगायी जाती थी। धन और मकई के समय में अच्छी बारिश होती थी जिससे स्वतः सिंचाई हो जाती थी। गेहूँ, बाजरा, जौ, दलहन इत्यादि पफसलों के लिये थोड़े बहुत पानी की जरूरत होती होगी। जिसकी मौसमी चक्र से पूर्त्ति हो जाती थी।

डा. इम्तेयाज अहमद ने शेरशाह के शासन काल के राजस्व एवं आर्थिक सुधरों के साथ–साथ जनकल्याणकारी कार्यों के लिये योगदान के लिए उल्लेखनीय कहा है। भूमि की नपाई और कर के साथ भूमि के स्वामित्व की चर्चा पूर्व में की गई है। उक्त विषयों के साक्ष्य के लिये डा अहमद ने कोई नई बात या कोई नया साक्ष्य नहीं पेश किया है। प्रत्युत शेरशाह के राजस्व संबंधी इस विषय में भी कोई नया तथ्य पेश नहीं किया है। जागीरदारों एवं जमींदारों के प्रभाव में क्या और किस प्रकार कमी आई इसके लिये भी उन्होंने कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया है। जमींदार व किसान की परिभाषा भी उन्होंने निरूपित नहीं की है।

शेरशाह की खोज टोडरमल के रूप में :–

सम्पूर्ण भू–माप और भू–राजस्व की व्यवस्था राजा टोडरमल की देन है। उसने अपनी शक्ति व मेधा काउपयोग एक कार्यपालक अधिकारी के रूप में किया जो प्रशंसनीय है। राजा टोडरमल की बुद्धि का उपयोग शेरशाह ने किया।

नीतिशास्त्र में कहा गया है राजा और विद्वान में विद्वान श्रेष्ठ होता है। राजा की महत्ता स्वदेश में ही होती है काल और परिस्थिति के अनुसार। लेकिन विद्वानों का यश देश, काल, परिस्थिति से परे होकर सर्वकालीन हो जाता है। आज टोडरमल नहीं है किन्तु उनकी नीति व कार्य कुशलता आदर्शरूप में उपस्थित है।

पंजाब प्रदेश के मोहनपुर गाँव में पैदा हुए राजा टोडरमल एक पक्का हिन्दू थे। अवध बिहार पाण्डेय के अनुसार मध्ययुगीन भारत के किसी भी मुस्लिम सुल्तान या सम्राटों ने हिन्दुओं को मुसलमानों की अपेक्षा शीष पद नहीं दिया। चाहे वह कितना ही कर्मठ, ईमानदार व योग्य क्यों न हो। यहाँ तक कि अकबर महान भी भगवान दास, मान सिंह, टोडरमल, बीरबल आदि की योग्यता से भले ही प्रभावित हुआ किन्तु किसी भी बड़े कार्य में या प्रधन सेनापति का पद उन्हें नहीं दिया। दाउद के विरुद्ध युद्ध में टोडरमल की कुशलता के बावजुद उपेक्षा की गई। डा. एस.ए. रिजवी ने कहा है कि हिन्दू सेनापति के मातहत मुस्लिम सेना लड़ने को तैयार नहीं होती थी। इसलिए उसे प्रधन सेनापति नहीं बनाया जाता था। हिन्दूओं की एक अलग ब्रीगेड बनाई जाती थी। महाराणा प्रताप के विरुद्ध सैन्य अभियान में जब राजा मान सिंह को सेनापति बनाकर लड़ाई के मैदान में उतारा गया तो मुस्लिम सेनाओं ने लड़ना स्वीकार नहीं किया। जबकि महाराणा प्रताप की सेना का संचालन हकीम सूर नाम मुसलमान सेनापति ने किया और मान सिंह के आक्रमण को विफल करने की चेष्टा की।

टोडरमल के संबंध में दूसरी बात यह कही जाती है कि अकबर के नवरत्नों में उसकी गणना की जाती थी फिर भी अकबर ने उसे अपने सम्प्रदाय दीन–ए–इलाही में धर्मान्तरित होने को बाध्य नहीं किया। इसका कारण टोडरमल का शेरशाह सूरी और अकबर दोनों का प्रिय होना था इसने दोनों प्रतिद्वन्दी सम्राटों के यहाँ आर्थिक सलाकार के रूप में अपने पद का कुशलतापूर्वक निर्वहण किया।

शेरशाह ही नहीं प्रत्युत उसके दो उत्तराधिकारियों तथा अकबर के अर्थमंत्री के रूप में कार्य करने वाले टोडरमल की मृत्यु 1589 ई. में हुई। यानि अकबर के शासन के 33 वर्षों तक वह राजस्व मंत्री रहा और यदि शेरशाह के काल को जोड़ दिया जाय तो टोडरमल का कार्यकाल लगभग 50 वर्ष का हो जायेगा जो अपने आप में कीर्त्तिमान है।

इतिहासकारों को यह ध्यान में रखना होगा कि शेरशाह सूरी ने जिस अभियान को चलाया उसे अकबर ने बरकरार ही नहीं रखा प्रत्युत अपने शत्रु पक्ष के अर्थमंत्री को अपना अर्थमंत्री बनाया। इतना ही नहीं नीतियाँ तो टोडरमल की थी किन्तु सम्राटों ने उसे कार्यरूप दिया। टोडरमल को अर्थमंत्री या सेनापति के रूप में नहीं अपितु अर्थशास्त्रीय दर्शन का चिंतक माना जायेगा। जिसे सम्राटों ने भी स्वीकार किया। शेरशाह की प्रशस्ति या गुणगान मात्र इसलिए किया जाना चाहिए ताकि उन्होंने टोडरमल की सुझबूझ को परखा और राज्य के हित में उसकी बुद्धि और ज्ञान का इस्तेमाल किया।

टोडरमल की मुलाकात शेरशाह से कहाँ और किस प्रकार हुई। इसकी विस्तृत चर्चा अनुपलब्ध है।

सर्वप्रथम शेरशाह ने टोडरमल का उपयोग पेशावर और बोलन घाटियों के बीच पूर्वी और पश्चिमी द्वार की रक्षा के लिये किया। हिन्दुस्तान से हुमायूँ के भाग जाने के बाद शेरशाह को मुगलों के वापस आने के सारे रास्ते बंद करने थे। पेशावर और बोलन के बीच गक्खरों की विपुल जसंख्या थी जो मुगलों के भक्त थे। उनका सरदार सारंग मुगल भक्त था। हुमायूँ ने सरदार सारंग से सहायता ली थी। फलस्वरूप शेरशाह ने गक्खरों की बस्ती में आग लगा दी। सरदार सहित गक्खरों को मार दिया गया और वहाँ एक किला बनवाने का विचार किया।

इस कार्य हेतु राजा टोडरमल और हैवत खाँ को अधिकृत किया गया। दोनों जिम्मेदार व्यक्तियों ने किले का निर्माण करवाया वह टोडरमल के प्रबंधन व कार्यकुशलता से काफी प्रभावित हुआ और इस किले का नाम पश्चिमी रोहतास रख जहाँ का शेरशाह मूल निवासी था।

संभवतः किले के सुप्रबंध्न से प्रसन्न होकर शेरशाह ने उसे राज्य के आर्थिक उन्नयन के लिए अधिकृत किया होगा। टोडरमल की भूमिका शेरशाह के वंशजों के समय में क्या रही इसकी विस्तृत सूचना इतिहास ग्रंथों में नहीं है पिफर भी यह तो कहा ही जा सकता है कि शेरशाह ने अपने राज्यकाल में उसकी विस्तृत चर्चा उपलब्ध करवाई है। इन स्रोतों में अबुल पफजल का 'आइने अकबरी' भी है।

अबुल पफजल के अनुसार राजा टोडरमल ईमानदार, योग्य, कर्मठ तथा सूझ–बूझ से सम्पन्न एक वीर यो(ा था। अबुल पफजल ने उसकी काबिलीयत की तारीफ की है। किन्तु उसकी कट्टरता की आलोचना करते हुए कहा है यदि वह अपने विचारों पर अड़ा नहीं रहता तो उसकी गिनती महात्माओं में होती। राजा टोडरमल को एक कति के रूप में भी याद किया गया। उकसी नीति परक कविता ने समाज को एक नई दिशा दी है।

अकबरनाम में ही कहा गया है कि टोडरमल के 'स्मरण पत्रा' में नाप जोख करने वाले अध्किारियों के लिये सुझाई गई देय राशि ;भू–राजस्वद्ध का उल्लेख है। उक्त भू–राजस्व का 10वाँ भाग मुख्यतः शहर में कार्यरत कर्मचारियों को नगद भत्ता के रूप में दिया जाता था।

अकबरनामा के उक्त कथन से स्पष्ट होता है कि टोडरमल का लिखा हुआ कोई स्मरण पत्रा रहा होगा। डा. वर्मा ने औरंगजेब के इस पफरमान का जिक्र किया है कि ऐसे जरूरत मन्द किसानों और कृषकों को, जो कृषि औजार खरीदने में असमर्थ होते थे, उनकी नगद सहायता टोडरमल के सिपफारिशों पर शेरशाह के काम में होती थी।

अबुल पफजल के अनुसार अकबर के शासन के नवम् वर्ष से लेकर 30वें वर्ष तक दीवान पद पर जिन तीन व्यक्तियों की नियुक्ति हुई – मुजफ्रपफरखान, राजा टोडरमल, ख्वाजा शाह मंसूर – उनमें राजा टोडरमल को सबसे योग्य वित्त सलाहकार माना गया। शाही दिवान पद पर 1582 ई. में शाही नियुक्ति से लेकर मृत्युपर्यन्त टोडरमल बेदाग आसीन रहे।

शेरशाह के राज्यकाल में जो कृषि संबंधी सुधर का श्री गणेश हुआ वह अकबर के शासन काल तक चलता रहा। यह सुधर इतना चुस्त–दुरूस्त था कि वह आगे भी प्रेरणा स्रोत बना। वर्त्तमान काल में भी जमीन के कागजात में तौजी ;तौजीनद्ध का उल्लेख होता है जो भूमि के इतिहास का एक साक्ष्य है। यद्यपि टोडरमल के भूमि संबंधी सुधर का कार्यान्वयन शेरशाह के कारण माना जा सकता है किन्तु जो राज्य शेरशाह से शासित नहीं थे उसमें भी टोडरमल की नीतियाँ ;लगभग सम्पूर्ण हिन्दुस्तान मेंद्ध लागू थी। वह भू–नाप की नीति (विघा+कट्ठा+धुर+धुरकी) शेरशाही नीति ; टोडरमल अंग्रेजी इंडिया में एकड़ के रूप में परिभाषित हुई। एकड़ की न्यूनतम इकाई डिसमील थी। सम्पूर्ण हिन्दुस्तान में विघा का प्रचलन था किन्तु उसके क्षेत्रापफल में कमी और वृ(होती गई। अंग्रेजों के समय में इसमें एकरूपता आ गई और इसी के आधर पर मालगुजारी तय हुई।

किन्तु मालगुजारी का आधर तो शेरशाही ही बनी रही। वर्त्तमानकाल में अंग्रेजों द्वारा छाँटी गई भूमि गैर मजरूआ खास और गैरमजरूआ आम की भी मालगुजारी तय कर दी गई। किसान के कल्याण के लिए किए गए शेरशाही सुधर को अंग्रेजों ने आधर बनाया और भूमि कर बढ़ा दी किन्तु वर्त्तमानकालिक व्यवस्था लोकहित के स्थान पर व्यापारीय हो गयी है। यह सि(करता है कि तत्कालीन भूमि समस्या पर टोडरमल की पैनी निगाह थी। किन्तु उसे यदि शेरशा जैसा नायक न मिलता तो उसका गुण छिपा ही रह जाता।

उपर्युक्त बाते यह सि(करती है कि तत्कालीन भूमि समस्या पर टोडरमल की पैनी निगाह थी और उसने कुशलता और दक्षतापूर्वक समस्याओं का समाधन किया किन्तु यह तभी संभव हो सका जबकि उसे शेरशाह जैसा नायक मिला।

परिकल्पना :–

प्रस्तुत शोध् कार्य इस परिकल्पना पर आधरित है कि क्या शेरशाह सूरी द्वारा लागू राजस्व व्यवस्था वर्त्तमान समय में भी उपयोगी हो सकता है?

निष्कर्ष :–

शेरशाह के सुधारों में सबसे अध्कि महत्व राजस्व संबंधी सुधरें को दिया जाता है। जिसे प्रायः सभी इतिहासकारों ने स्वीकारा है। राजस्व समग्र अर्थ नीति का अंग होता है। अगर सच में कहा जाय कि इसी राजस्व के लिये लोग युध क्षेत्र में जाते हैं और अर्थ प्राप्त कर स्वयं को एवं अपनी प्रजा को संतुष्ट रखते हैं। राजा और प्रजा के बीच ताल–मेल से ही खुशहाली होती है। शोध में इसकी विस्तृत चर्चा की गई है। आखिर शेरशाह ने कौन सा उल्लेखनीय कार्य किया जिसे उसका नाम सुधरकों में गिना जाने लगा। शेरशाह से पहले भी एक से एक बहादुर, योग्य शासक हुए किन्तु आखिर में वह कौन सा कार्य था जो शेरशाह के पूर्ववर्त्ती शासकों ने नहीं किया। ;पूर्ववर्त्ती हिन्दू राजाओं को छोड़करद्ध शोध का निष्कर्ष शेरशाह के अर्थ संबंधी सारे सुधर का वह भाग है जिसे मुस्लिम शासकों ने नहीं किया। कुतुबुद्दीन से लेकर हुमायूँ तक के कालखण्ड को अराजक माना जा सकता है। इस विशाल कालखण्ड में राजा का काम राज्यों के सुधर का नहीं था बल्कि यहाँ के हिन्दुओं को इस्लाम में परिवर्तित करना था। कुतुबुद्दीन से लेकर हुमायूँ तक कालखण्ड में राज्याध्यक्ष के अतिरिक्त शाही दरबार के उच्च पद शाही वंश के सदस्यों को दिये जाते थे। तत्पश्चात् अरबी, इरानी, अपफगानी या मुसलमानों की उच्च जाति के द्वारा नीचे तबके के उन मुसलमानों पर शासन किया जाता था जो हिन्दू से ध्र्मान्तरित थे। हिन्दू राजा को यथावत छोड़ दिया गया प्रत्युत उससे समय–समय पर विशेष कर वसूला गया जिसमें जजिया भी था। शोध का निष्कर्ष यह है कि कुतुबुद्दीन से लेकर हुमायूँ तक की अर्थनीति को समूल बदल दिया गया। किन्तु शेरशाह के एक देशी शासक के रूप में कार्य किया। हिन्दू और मुसलमानों दोनों को समान रूप से देखा।

राजस्व संबंधी सुधरों के साथ–साथ शेरशाह कठोर शासन के लिये भी याद किया जाता है। एस.ए. रिजवी की उक्ति Sher Shah की तमेजवतमक चमंबम जव जीम बवनदजतल'' से शोध सहमत है। शोध में जमीन–जमीनदार, काश्तकार–किसान ओर मजदूर के बारे में जो टिप्पणी की गई है वह भी मौलिक है और वह किसी भी इतिहासकार के विचार से अलग है। प्राप्त इतिहास ग्रन्थों में जमीन–जमीनदार, काश्तकार, किसान व मजदूर के रिश्तों को परिभाषाओं को स्पष्ट नहीं किया गया है। इस शोध में इसे यथा संभव स्पष्ट किया गया है।

ज्ञान के क्षेत्रा में योगदान :–

प्रस्तुत शोध पत्रा निश्चित रूप में ज्ञान की अभिवृधि में सहायक सिध होगा। उक्त शोध से कई तथ्यपरक अनसुलझे प्रश्नों के समाधन होने की प्रबल संभावना है, जो यह वर्तमान राजस्व व्यवस्था की आधरशीला के रूप में परिलक्षित प्रतीत होती है।

,,,,,

संदर्भ ग्रंथ सूची

1. मुगलकालीन भारत – आशीर्वादी लाल श्रीवास्तव, पृ०–106, 122
2. मध्यकालीन भारत – अवध बिहारी पाण्डेय , पृ०–322, 323, 336, 413
3. मध्यकालीन भारत – महावीर सिंह त्यागी, पृ०–66
4. मध्यकालीन भारत – डा० बी०एस० भार्गव, पृ०–291, 292, 296
5. मध्यकालीन भारत – डा० इम्तेयाज अहमद, पृ०–185
6. मध्यकालीन भारत – हरिश्चन्द्र वर्मा, पृ०–22, 31, 32
7. मध्यकालीन भारत – विद्याधर महाजन, पृ०–58, 59
8. मध्यकालीन भारत – एल.पी. शर्मा, पृ०–298
9. भारत में मुस्लिम शासन – एस.आर. शर्मा, पृ०–227

10. भारत में इस्लाम शासन का इतिहास – सत्यनारायण दुबे, पृ॰–227, 228

8. मिथिला तत्त्व विमर्श – परमेश्वर झा

9. शेरशाह (पुस्तक भंडार लहेरियासराय से प्रकाशित 1940)

10. S.A. Rizvi - (The wonder that was India)] i`ú &101] 107] 154] 186

11- Majumdar Roy Chaudhary & Dutta - An advance History of India] i`Œ&73] 128] 422

12- Encyclopedia Britrannica (Vol.-I) Mughal Dynasty (Vol.-I)] i`Œ&41

*****